वार्षिक रिपोर्ट
2010-2011

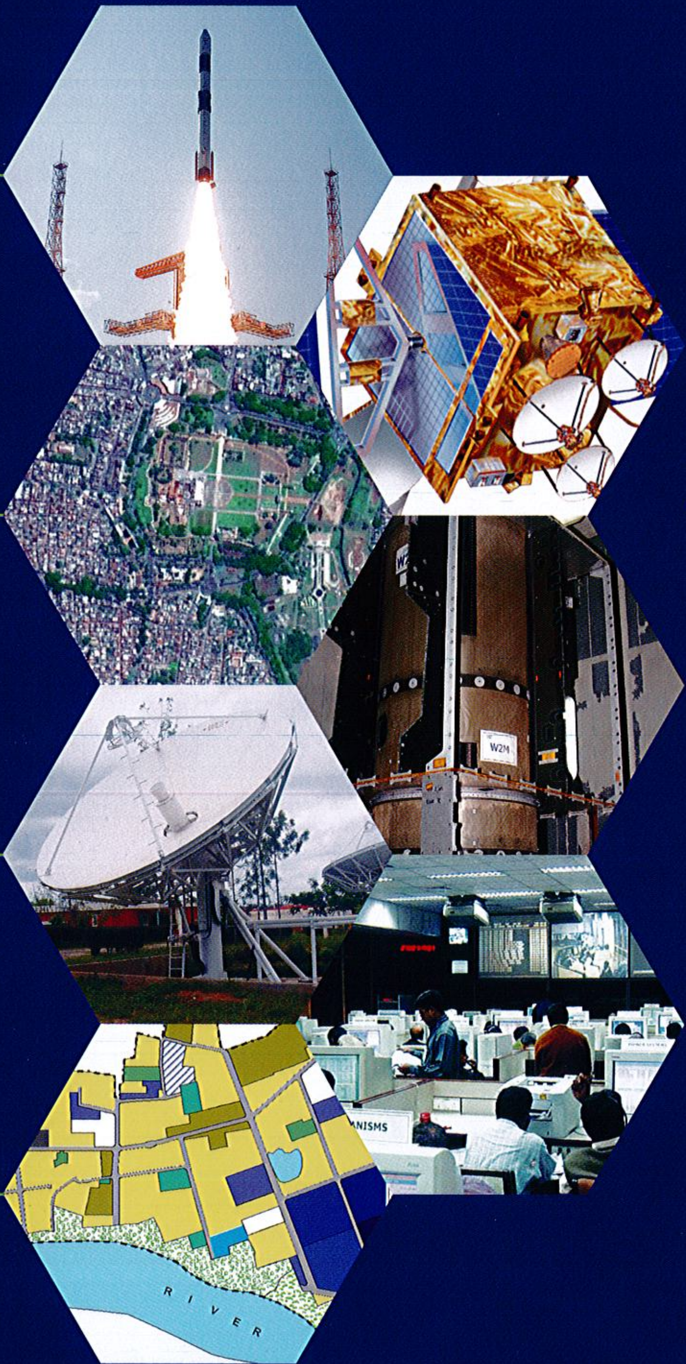

एन्ट्रिक्स ANTRIX एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक मण्डल	डॉ.के.राधाकृष्णन (7 जुलाई, 2011 तक) डॉ. वी.एस. हेगडे (7 जुलाई 2011 से) श्री वी.वी.भट्ट, भा.प्र.से. श्री जी.बालचन्द्रन, भा.प्र.से. (11.1.2011 तक) डॉ आर.आर. नवलगुंद डॉ.टी.के.एलेक्स डॉ.वी.जयरामन (30.4.2011 तक) श्री पी.एस.वीरराघवन श्री रतन टाटा श्री जमशेद गोदरेज श्री पी.रवीन्द्र रेड्डी श्री के.आर.श्रीधर मूर्ति (30.9.2010 तक)
प्रबन्धन दल :	
कार्यकारी निदेशक	श्री एस. परमेश्वरन
निदेशक (विशेष परियोजनाएँ)	श्रीमती गीता वरदन
निदेशक (व्यापार विकास)	श्री एस.परमेश्वरन
निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं सेवाएँ)	श्रीमती टी.एस.शोभा
उप निदेशक (व्यापार विकास)	श्री आर.एल.एन.मूर्ति
प्रधान, लेखा व आन्तरिक वित्त सलाहकार	श्री जी.अलगेशन
संवैधानिक लेखा परीक्षक	मेसर्स अबर्ना एवं अनन्तन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नं.643, I मेन, 7वाँ ब्लॉक 2 फेज़, बनशंकरी तीसरा स्टेज बेंगलूर - 560 085
बैंकर	केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्स्टेंशन, शाखा बेंगलूर-560 080 स्टेट बैंक आफ इंडिया डालर कॉलनी शाखा बेंगलूर 560 054
पंजीकृत कार्यालय	“अन्तरिक्ष भवन” न्यू बी.ई.एल. रोड के समीप बेंगलूर - 560 231

विषय सूची

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	1
मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट की परिशिष्ट	6
सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण -पत्र	9
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	12
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	16
तुलन - पत्र	19
लाभ तथा हानि लेखा	20
तुलन-पत्र की अनुसूची	21
लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची	24
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	26
लेखाओं पर टिप्पणी	28
तुलन-पत्र का सार और कंपनी का सामान्य व्यापार संबंधी प्रोफाइल	34
नकद प्रवाह विवरण	35

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

आपके निदेशक मण्डल को मार्च 31, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणी सहित उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी विशेषताएँ

वर्ष के दौरान, सार्वभौमी वसूली प्रक्रिया के चलते सभी क्षेत्रों में वित्तीय बाजार में कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। कम्पनी ने ₹1114.20 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की बढ़ौत्तरी दर्शाता है। वर्ष के दौरान लाभ ₹138.87 करोड़ था। आपकी कम्पनी जो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक अंग/कार्पोरेट फ्रन्ट है, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को मानवजाति के कल्याण हेतु उपयोग करती रही है और राष्ट्र की अच्छी आर्थिक स्थिति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। कम्पनी के मुख्य क्रियाकलाप आम जनता के जीवन को सुधारने हेतु सम्पर्क स्थापित करने और सूचना प्रदान करने की दिशा में योगदान देने से संबंधित हैं। आगामी वर्षों में आपकी कंपनी को निष्पादन को बेहतर करना का विश्वास है।

निर्यात

अवन्ती कम्यूनिकेशन्स्, एक यू.के. के ग्राहक के लिए एन्ट्रिक्स-एस्ट्रियम के अधीन निर्मित उपग्रह, प्रोजेक्ट हाइलास ने अच्छी प्रगति की। नवंबर 2010 में प्रमोचित उपग्रह की सुपुर्दगी कम्पनी की उपलाब्धियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निश्चित कक्षीय परीक्षा को पूरा करने के बाद, इसे मार्च 2011 को उपभोक्ता को सौंपा गया। यह कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

W2M के प्रचालन हेतु यूटेलसैट नामक एक अन्य ग्राहक को कक्षीय सहायता प्रदान की गई।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

आपकी कम्पनी विश्व-भर से विविध उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आई.आर.एस. उपग्रह श्रृंखला से प्राप्त आँकडों का विपणन कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों द्वारा आई.आर.एस. उत्पाद एवं सेवाओं की स्वीकृति प्रति वर्ष और बढ़ती जा रही है और इस में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए।

फिलहाल आपकी कम्पनी रिसोर्ससैट-1, कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2 तथा ओशनसैट-1 से प्राप्त आँकडे एवं संबंधित सेवाओं का विपणन कर रही है। हाल ही में प्रमोचित ओशनसैट-2, ओशनसौट-1 का जारी मिशन, आई आर एस के समूह में शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए आपकी कंपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उपयोग करता ज़्यादातर सरकारी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं से चर्चा कर रही है। अगली तिमाही में प्रमोचन हेतु नए उपग्रह रिसोर्स सैट-2 से उपयोगकर्ता को सेवाएँ जारी रखने के लिए आपनी कंपनी उत्सुक है। इसने वर्तमान एवं नए भौगोलिक क्षेत्रों के नए उपभोक्ताओं में व्यापक रूचि उत्पन्न की है।

एक महत्वपूर्ण विकास मूल्य योज्य उत्पाद औप सेवाओं (वी.ए.पी.एस) में प्रवेश करना है। आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक खनिज भंडार अनुमान की परियोजना को पूरा किया है और वेब जी.आई.एस. और संबंधित सेवाओं में नए आयामों को खोज रही है।

प्रमोचन सेवाओं:

पी.एस.एल.वी. द्वारा सहायक नीतभार के रूप में नीतभार के प्रमोचन के लिए एन्ट्रिक्स ने संभावित उपभोक्ताओं की खोज की और आगामी वर्षों के लिए एक प्रभावशाली प्रमोचन कार्यक्रम सूची बनाई है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ:

आपकी कम्पनी ने दूरमिति, दूरादेश, अनुवर्तन, परासन और अन्य संबंधित सेवाओं को प्रतिष्ठत ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा है।

इन्टेलसैट के साथ किए गए एक करार के भाग के अनुसार स्थानांतरण कक्षा सहयोग सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) और अन्य कक्षीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु, आपकी कंपनी ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को सहयोग करने के लिए गति तीव्र कर दी है। इस्ट्रैक की भू-स्टेशन को भी हिनोड उपग्रह (जे.ए.एकस.ए. मिशन) को दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश उपलब्ध करने के लिए उपयोग किया गया।

आपकी कंपनी अत्याधुनिक के. ए.-बैंड भू-स्टेशन की स्वीकृति परीक्षा को पूरा करने और स्थापना में सफल हुई है जो विश्व में उसके जैसी प्रथम है और यह एम.सी.एफ. हासन में है। आगे इस भू-स्टोशन को 115 डिग्री पश्चिम के वा.या.सैट-1 उपग्रह के मिशन प्रचालनों में सहयोग के लिए उपयोग किया गया। वा.या.सैट-1 बिंदु किरण पुंज उपग्रह जो अंतरिक्ष प्रणाली लोरल का है, यू.एस. में उपग्रह ब्राड बैंड सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए है।

उपग्रह प्रणालियाँ:

कम्पनी दो प्रकार के उपग्रह मंचों का विपणन करती रही है जिसकी परम्परा सुस्थापित है। इन्सैट/जियोसैट कार्यक्रमों के लिए इसरो द्वारा आई 2 के. तथा आई 3 के. संचार उपग्रह मंच विकसित किये गये है। एस्ट्रियम के साथ गठबंधन में निर्यात हेतु दो उपग्रहों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के अनुसरण में, कम्पनी इस गठबंधन के कार्य-ढाँचे के अधीन अतिरिक्त अवसरों की तलाश में है।

दूरसंचार प्रेषानुकर सेवाएँ:

सी और के.यू बैंड में प्रेषानुकर क्षमता वाले स्पेकट्रम की बढ़ती मांग जारी है। उपग्रह बैंड विस्तार वीडियो, टी.वी.प्रसारण के लिए बाज़ार, वी-सैट संपर्क कड़ी, अंकीय उपग्रह समाचार संग्रहण आदि को सेवा प्रदान कर रही है। इस बीच डी.टी.एच. सेवाएँ बाज़ार में जम रही है, उभरती सेवाएँ जैसे एच.डी.टी.वी., 3-डी. टी.वी. आदि उपग्रह विस्तार बैंड की मांग को बढाने में बहुत योगदान दे रही है। इन आवश्यकताओं को विभिन्न सेवाएँ विशेषत: डी.टी.एच. और वी-सैट खंड से पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों को क्षमता पट्टे पर ली है। वर्ष के दौरान जीसैट-8 और जीसैट-12 को योजित और निर्धारित प्रमोचन से संवर्धित क्षमता के इन्सैट अंतरिक्ष खंड में उपलब्ध है, जो के.यू और विस्तृत सी-बैंड में अतिरिक्त अंतरिक्ष खंड उपलब्ध करता है। इन सब ने सनसनीदार अंतरिक्ष सेवाओं को बाज़ार में प्रोत्साहन प्रदान किया है।

आपकी कंपनी ने सरकार से प्राप्त निदेशों के आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2005 के इसरो/एन्ट्रिक्स व देवास मल्टीमीडिया प्रा.लि. के बीच हुए एस बैंड करार के क्षमता पट्टे को 25 फरवरी 2011 को रद्द कर दिया गया है । आपकी कंपनी ने इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है।

दौरों का आदान प्रदान:

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान पहले जैसे ही दौरों का विनिमय हुआ है। वर्ष के दौरान, अन्तरिक्ष उद्योग में अग्रणी अन्तरिक्ष एजेन्सियों तथा अन्य व्यापारिक संगठनों, जिनकी संख्या से अधिक है, के बीच दौरे हुए हैं। आपकी कम्पनी का दृढ विश्वास है कि यह संघ को सुदृढ करने में सहायक होगा और व्यापार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

वित्तीय परिणाम:

वित्तीय परिणाम	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)	31.03.10 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख ₹ में)
कुल आय	1,11,419.70	88,392.16
कुल व्यय	89,683.03	69,714.62
मूल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**21,736.67**	**18,677.54**
असामान्य आय	14.23	0.00
घटाए : मूल्य ह्रास	(12.24)	(12.58)
घटाए : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(272.09)	(1,962.81)
घटाए : अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(64.48)	(1,905.81)
घटाए : कराधन के लिए प्रावधान	(6,916.00)	(4,690.00)
जोडिए : आस्थगित कर	72.34	663.90
पिछले वर्षों में आयकर हेतु अधिक/कम प्रावधान पिछले वर्षों का कर	(663.35)	69.00
अल्प लाभ कर हेतु अधिक प्रावधान	(8.28)	0.75
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**13,886.80**	**10,839.99**
जनरल रिजर्व को स्थानांतरित	10,646.00	8,300.00
प्रस्तावित लाभांश	2,778.00	2,170.00
कार्पोरेट लाभांश कर	461.39	368.79
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष तुलन पत्र	1.41	1.20
	13,886,80	**10,839.99**

लाभांश:

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), के दिनांक 17.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/1(16)-ई।।(ए), दिनांक 20.08.1998 के का.ज्ञा.सं.एफ.19(।)-ई-।।(ए)/98 तथा दिनांक 13.06.2001 के सं.एफ.3(2)-बी(एस)/2001 और दिनांक 9.9.2002 के अ.शा.प.सं.3(67)-बी(एस)/2002 और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.06.2004 के अ.शा.पत्र सं.3(2)बी/एस/2003 और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक मई 19, 2005 के अ.शा.पत्र सं.3(3)बी(एस)/2005 द्वारा जारी किये गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपका निदेशक मण्डल 100 लाख रुपये की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी पर 2778% (पिछले वर्ष 2170%) के लाभांश की सिफारिश करता है। यह मार्च 31, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ के 20% का प्रतिनिधित्व करता है।

भावी परिदृश्य:

वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ खुले हैं। यह प्रत्याशा की जा रही है कि यह विविध क्षेत्रों में उत्पाद एवं सेवाओं के लिए माँग को बढायेगा। कम्पनी नए अवसरों को खोज रही है जिन्हें वह और विकसित कर व्यापार के सफल आदर्श बना सके। सुदूर संवेदी एवं दूर-संचार के क्षेत्रों में दूरचिकित्सा का वाणिज्यिक मॉडल का विकास सुदूर संवेदी और दूर-संचार के क्षेत्रों में मूल्य योजित सेवाएँ करना बहुत लाभदायक होगा। उपग्रह संचार सेवाओं का प्रावधान दूसरा प्रमुख खण्ड है जिसमें सार्वभौमी विकास की संभावना है। नौवहन अभिग्रहण के क्षेत्र में अवसर खोजने की कम्पनी की योजना है। यह सब बडे चुनौतीपूर्ण अवसर हैं और आपकी कम्पनी इन चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफल कामों में परिणत करने के लिए आश्वस्त है ।

निदेशक:

श्री के.आर. श्रीधरमूर्ति के सेवा निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप 30 सितंबर, 2010 से प्रबंधन निदेशक नहीं रहे। श्री जी.बालचन्द्रन के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वे 11 जनवरी, 2011 से निदेशक नहीं रहे। डॉ. वी.जयरामन के सेवा निवर्तन आयु की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 30 अप्रैल 2011 से निदेशक नहीं रहे। डॉ.के.राधाकृष्णन निदेशक ने 07 जुलाई 2011 को पद त्याग दिया। भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग ने डॉ. वी.एस. हेगडे, को 07 जुलाई 2011 से अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। डॉ. आर.आर. नवलगुंद, निदेशक, अतंरिक्ष उपयोग केन्द्र को 01 अक्तूबर 2010 से कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया। आपके निदेशक मण्डल ने डॉ के राधाकृष्णन, श्री.के.आर. श्रीधरमूर्ती, श्री जी. बालचन्द्रन तथा डॉ.वी जयरामन द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की ।

निदेशक मण्डल की जिम्मेदारियों का विवरण:

निदेशक मण्डल की जिम्मेदारियों के विवरण के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसार यह पुष्ट किया जाता है कि:

(i) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में, सामग्रियों की रवानगी के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानक लेखा विधि का अनुसरण किया गया है:

(ii) निदेशक मण्डल द्वारा ऐसी लेखा विधि नीतियों का तर्क संगत चयन किया गया है और उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया गया है और आकलन तथा निर्णय को इस तरह तैयार किया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि के बारे में एक सच्चा और उचित चित्र दें:

(iii) निदेशक मण्डल ने कम्पनी की परिसम्मपत्तियों को सुरक्षित रखने व धोखा और अन्य विषमताओं को रोकने और उनका पता लगाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधनों के अनुसार पर्याप्त लेखा विधि रिकार्डों के रखा-रखाव के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बर्ती है।

(iv) निदेशक मण्डल ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा "चालू संस्था" के आधार पर तैयार किया है।

कार्पोरेट शासन:

आपकी कम्पनी का, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप कार्पोरेट शासन पद्धति कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक नीति बनाया गया है। आपकी कंपनी विश्वास करती है कि यह बेहतर पारदर्शिता लाने, बेहतर शासन तथा सभी स्टेक-घारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा ।

लेखा परीक्षक:

भ्भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने दि: जुलाई 15, 2010 के पत्र सं.सी.ए.वी/सी ओ.वाई/केन्द्र सरकार एन्ट्रिक्स(1)/(132) द्वारा मेसर्स अबर्ना एवं अनन्तन, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, बेंगलूर को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने हेतु वैधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। दिनांक 17 दिसंबर, 2011 की उनकी रिपोर्ट संलग्न है। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के तहत, दिनांक 28 दिसंबर, 2011 के पत्र सं.रिपोर्ट-।।/एन्ट्रिक्स ए/सी.एस(10-11)/2011-12/194 द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने दिनांक 10 सितंबर 2011 के पत्र सं.सी.ए.वी./सी.ओ.वाई/केन्द्र सरकार एन्ट्रिक्स(1) 613 द्वारा मेसर्स ग्यानोबा एवं भट्, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, बेंगलूर को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी के बैधिक लेखा-परीक्षाओं के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र:

श्री वी.पद्मनाभन, कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सावधिक जमा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण:

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग शून्य थे तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति एक थी। समूह क (तकनीकी), समूह क (प्रशासनिक) तथा समूह ग (प्रशासनिक) में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 3,5 तथा 2 थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम :

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ई) के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, आपकी कम्पनी ने सभी स्तरों पर राजभाषा के प्रयोग की दिशा में सक्रिय प्रयास किये हैं।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों में भाषा कौशल को अधिक तीव्र करने हेतु प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ-साथ कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने हेतु कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा के आय और निर्गम (वास्तविक) की स्थिति निम्न प्रकार है:

विदेशी मुद्रा की आय	**राशि लाख रुपये में**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
क) निर्यात की बाबत	2,761.41	यूरो	37,452.50
		यू.एस.$	61,52,580.12
ख) तकनीकी परामर्शिता की बाबत	2,639.77	यू.एस.$	58,,48,702.92
		यूरो	40,49,059.01
ग) अन्य सेवाओं की बाबत	2,676.46	यू.एस.$	59,96,488.74
कुल	**8,077.64**		
विदेशी मुद्रा का निर्गम	**राशि लाख रुपये में**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
क) यात्रा की बाबत	72.12	यूरो	61,453.95
		यू.एस.$	74,073.00
ख) आयात की लागत की बाबत	668.55	यूरो	2,29,692.44
		यू.एस.$	11,50,002.24
ग) तकनीकी परामर्शिता की लागत की बाबत	18,370.15	यू.एस.$	3,78,11,414.51
घ) अन्य सेवाओं की लागत की बाबत	138.18	यू.एस.$	2,97,141.92
कुल	**19,249.00**		

आभारोक्ति

आपके निदेशक, अपने उत्पाद एवं सेवाओं के ग्राहक तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा रखते हैं। आपके निदेशक, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों और आपकी कम्पनी के अधिकारियों एवं स्टाफ की आपकी कम्पनी के सफल कार्यों की दिशा में हार्दिक सहायता के लिए आभार व्यक्त करते है।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 28.12.2011

(वी.एस. हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक

मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट की परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
(i) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ तय किए गए ठेके के अनुसार नियत तारीख के अंदर पूर्ण प्रचालनीय उपग्रह से पट्टे पर देने की क्षमता में असफल होने पर तुलन-पत्र की तारीख में विलंबित सुपुर्दगी जुर्माना के रूप में यूएस $ 5 मिलयन (21.89 करोड़) की निर्धारित क्षति (लिक्विडेटड डेमेज) के लिए उत्तरदायी होने के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन की राय में वर्तमान को कोई प्रावधान बनाने की आवश्यक्ता नहीं है, चूंकि विवाचन कार्यवाही से संबंधित मामला निर्णाधीन है। (ii) ठेके के तहत माल के लिए उत्तरदायित्व में उल्लंघन के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। कंपनी के समर्थन में कानूनी राय को वैध दिखाता हुआ किसी ठोस प्रमाण की अनुपस्थिति में वित्तीय प्रतिघात और कंपनी के लेखा पर प्रभाव पर हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं।	(i) व (ii) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड (देवास) के साथ तत्काल से करार समाप्त कर दिया है। देखें पत्र दिनांक 25/02/2011, जिसमें केन्द्रीय सरकार की नीति निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के लिए कंपनी के एस-बैंड में कक्षीय स्लॉट उपलब्ध न कराने के साथ विद्यमान करारें जो इस विषय के मामले है को सूचित करता है। देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आरबिट्रेशन, पेरिस में 29, जून 2011 को विवाचन याचिका दर्ज किया है, जिसमें करार को पुन: बनाने का निवेदन है। कंपनी आई.सी.सी. के तहत विवाचन के लिए सहमत नहीं हुई और आई.सी.सी. के पत्र दिनांक 11.07.2011 द्वारा सूचित किया गया और आई.सी.सी. के साथ तदनंतर पत्राचार में इसकी पुनरावृत्ति की है। कंपनी ने करार के तहत उपलब्ध विवाचन कार्यवाही का आह्वान किया है और 30 जुलाई 2011 को देवास को विवाचन नोटिस जारी किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दर्ज किया है कि करारा के अनुसार देवास को विवाचकों की नियुक्ति का निदेश देने का निवेदन किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सिटी सिविल जड्ज, बेंगलूरु में भी विवाचन आवेदन और मुकदमा दाखिल किया है। चूंकि करार अपरिहार्य घटना के कारणों से समाप्त किया गया है, अत: कंपनी की राय है कि निर्धारित क्षति या माल के ठेके का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर भी, विवाचन निर्णय यदि हो तो निर्णय की स्वीकृति को वर्ष के लेखा में उचित प्रतिपादन दिया जाए।

कर के पश्चात लाभ करोड़ रूपयों में

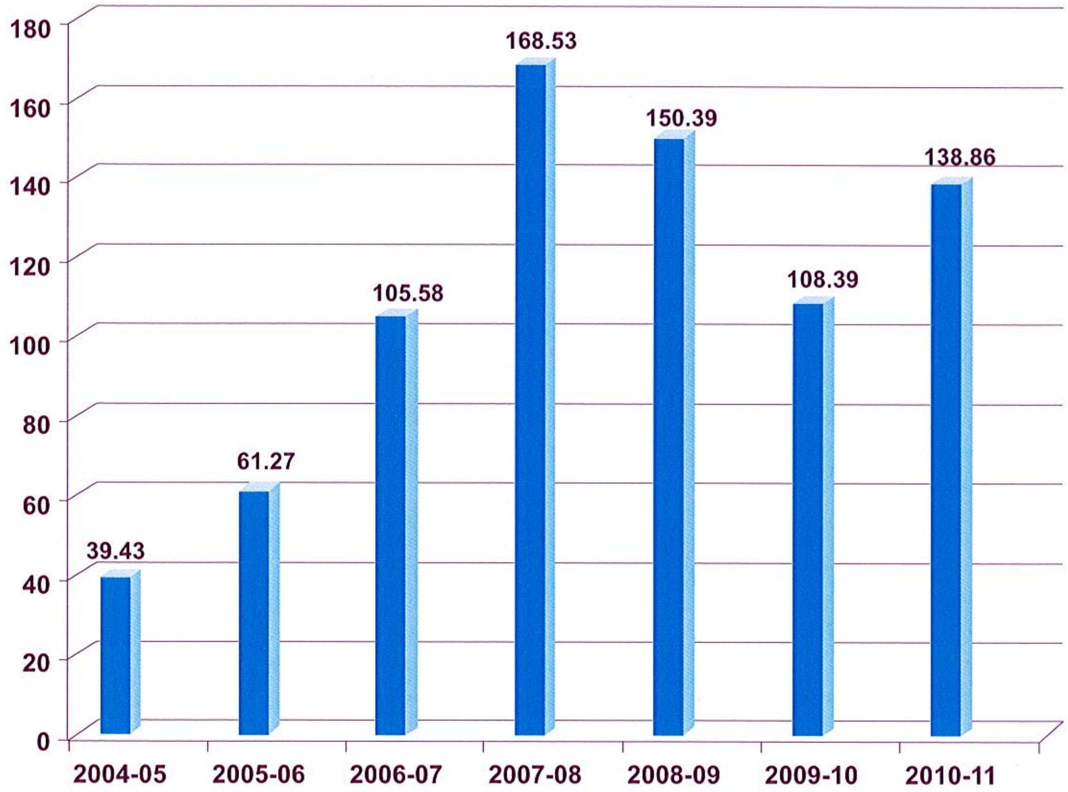

प्रदत शेयर पूँजी के प्रतिशत के रूप में लाभांश

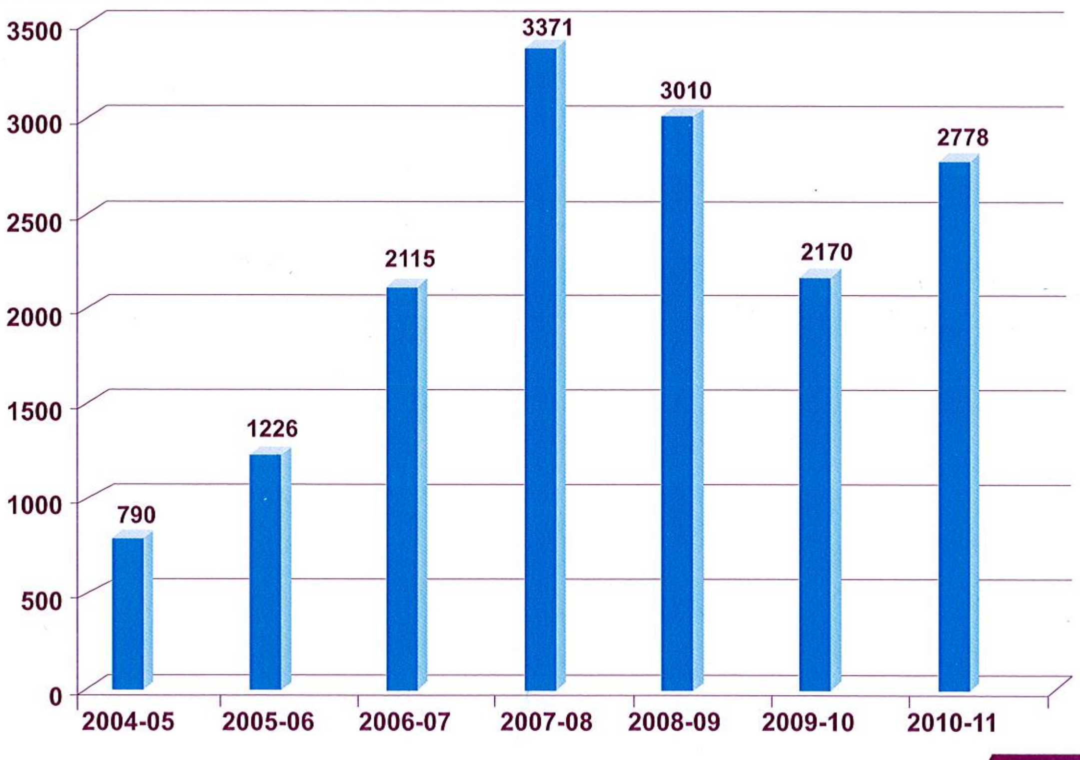

राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय

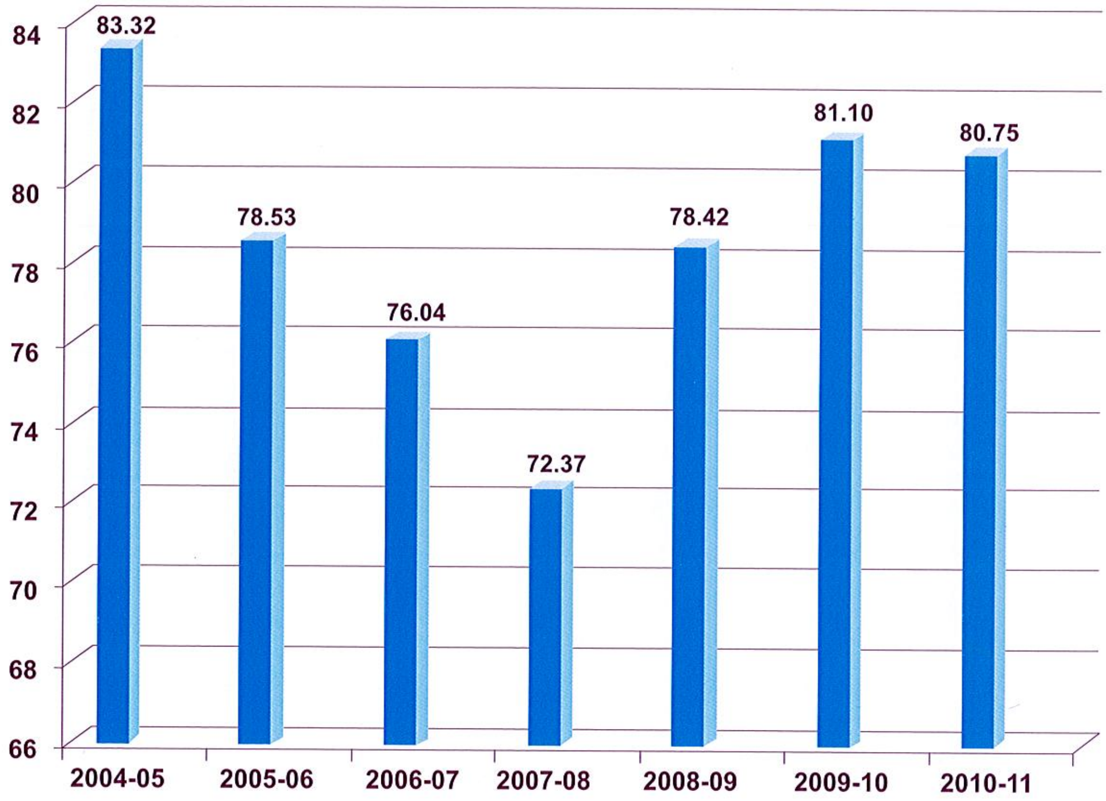

प्रदत्त पूँजी के प्रति के रूपये निवल मूल्य (रुपयों में)

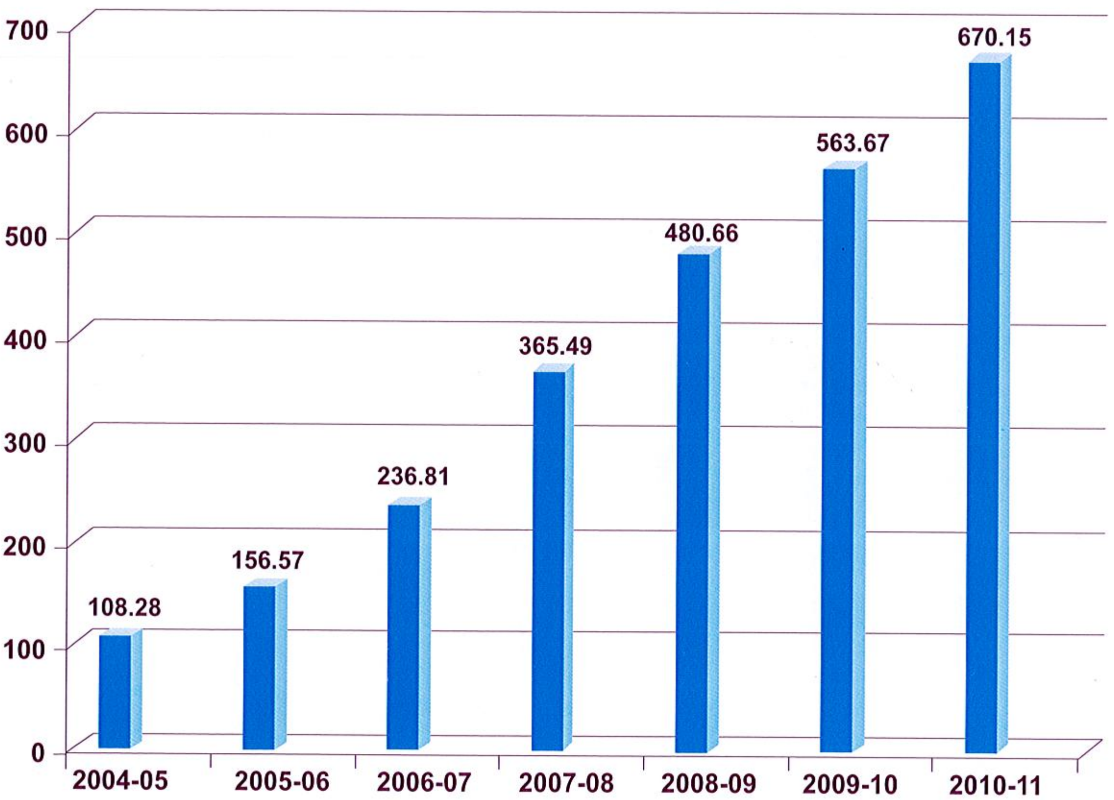

अनुपालन प्रमाण-पत्र

कंपनी सं.: U85110KA1992PLC013570
प्राधिकृत पूँजी : रु.5 करोड़
प्रदत्त पूँजी : रु.1 करोड़

सेवा में,
सदस्य
एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल.रोड के समीप
बेंगलूर-560 231

मैंने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित रजिस्टर, रिकार्ड, पुस्तकें और कागजात तथा उसके तहत बनाये गये नियम और कम्पनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों की जाँच की है । मेरी राय और जानकारी में और मेरे द्वारा की गई जाँच के अनुसार, और कम्पनी, इसके अधिकारी एवं एजेन्ट द्वारा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त वित्त वर्ष के संबंध में :

1. कम्पनी द्वारा, इस प्रमाण-पत्र के अनुबंध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टर अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार रखे गये हैं और सभी प्रविष्टियाँ उनमें विधिवत् रिकार्ड की गई हैं ।

2. कम्पनी ने, इस प्रमाण्-पत्र के अनुबंध 'ख' में उल्लिखित फार्म एवं रिटर्न को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित समय के भीतर विधिवत जमा कराई हैं ।

3. यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है । इसके पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूँजी है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या दो थी और जाँचाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने
   i) अपने शेयर अथवा डिबेंचर खरीदने हेतु लोगों को आमंत्रित नहीं किया; और
   ii) न ही कोई जमा आमंत्रित अथवा स्वीकार की है ।

4. निदेशक मण्डल की 28 जुलाई 2010, 23 सितंबर 2010, 28 दिसम्बर 2010 तथा 30 मार्च 2011 को विधिवत् चार बैठकें आयोजित की गईं, और इन बैठकों के संबंध में सूचनाएँ दी गई थीं तथा किये गये संकल्पों सहित बैठक की कार्यवाहियों को सही ढंग से रिकार्ड किया गया और इस उद्देश्य हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तक में हस्ताक्षर किये गये ।

5. कम्पनी को वित्त वर्ष के दौरान अपने सदस्यों अथवा डिबेंचर की रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था ।

6. 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक महा सभा की बैठक कम्पनी के सदस्यों को विधिवत् सूचित करते हुए 23 सितम्बर 2010 को हुई और बैठक में पारित संकल्पों को, इस उद्देश्य हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तक में विधिवत् दर्ज किया गया ।

7. वित्त वर्ष में कोई असाधारण महासभा नहीं बुलाई गई ।

8. कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के नाते, उस पर दि.16.7.1985 की सरकारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.581 (स्था.) के द्वारा अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती ।

9. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 में विनिर्दिष्ट ठेकाओं के संदर्भ में, उक्त धारा के अंतर्गत आने वाली किसी ठेका पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

10. अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में कम्पनी को कोई प्रविष्टि कराना अपेक्षित नहीं था ।

11. चूँकि अधिनियम की धारा 314 की परिधि में आने वाली कोई घटना नहीं हुई, कम्पनी ने निदेशक मण्डल, सदस्यों अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है ।

12. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान शेयर प्रमाण-पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की है ।

13. कम्पनी ने:
   i) वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हस्तांतरित की है ।
   ii) घोषित लाभांश की राशि, इस उद्देश्य हेतु खोले गये एक अलग बैंक खाते में जमा करा दी है और यह लाभांश की राशि ऐसे लाभांश के घोषित होने के दिनांक से पाँच दिनों के अंदर जमा कराई है ।
   iii) घोषणा के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अंदर सभी सदस्यों को लाभांश का भुगतान कर दिया है ।
   iv) कम्पनी को अप्रदत्त लाभांश, वापस देने योग्य धन, देय जमा, देय डिबेंचर और उस पर प्राप्त ब्याज जिनका कि

अभी तक दावा नहीं किया गया, या जिनका निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को सात वर्ष की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया हो, के आवेदनों के लिये कोई धन-राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी कोई राशि कम्पनी के पास नहीं है ।

v) अधिनियम की धारा 217 के अपेक्षित प्रावधानों का विधिवत् अनुपालन किया है ।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है और रिक्तियों को भरने हेतु निदेशकों, अपर निदेशकों, वैकल्पिक निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्ति विधिवत् की गई हैं ।

15. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान, कोई प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्धक की नियुक्ति नहीं की है ।

16. वित्त वर्ष में कम्पनी ने कोई एकल-विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है ।

17. कम्पनी ने अतिरिक्त आँकड़ों के प्रकाशन के संबंध में अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II के प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।

18. अधिनियम तथा उनके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने अन्य फर्मों/कम्पनियों में अपनी अभिरुचि निदेशक मण्डल के सामने प्रकट की है ।

19. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान कोई भी शेयर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं किया हैं ।

20. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदे हैं ।

21. वित्त वर्ष में किसी भी अधिमानी शेयर अथवा डिबेन्चर के प्रति क्षतिपूर्ति नहीं की गई ।

22. ऐसे कोई लेन-देन नहीं हुए कि कम्पनी को लाभांश के अधिकार, शेयर के अधिकार को स्थगित रखने तथा बोनस शेयरों के शेयर हस्तांतरण के पंजीकरण लंबित रखने की कोई आवश्यकता पड़े ।

23. कम्पनी ने वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के प्रावधानों के अधीन आने वाले किसी भी असुरक्षित ऋण सहित किसी भी प्रकार की जमा न आमंत्रित की है न ही स्वीकार की है ।

24. वित्त वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा उधार पर ली गयी राशि कम्पनी की उधार सीमा के अन्दर है ।

25. कम्पनी ने किन्हीं अन्य कार्पोरेट निकायों से किसी भी प्रकार का ऋण एवं निवेश अथवा अग्रिम न लिया है और न ही कोई गारंटी या कोई प्रतिभूति दी है, और परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु रखी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे में अवस्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है ।

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है ।

28. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के नाम के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है ।

29. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी की शेयर पूँजी के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है ।

30. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने आर्टिकल ऑफ असोसियेशन (संगम-अनुच्छेदों) में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

31. वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी के विरुद्ध कोई दण्ड लागू नहीं किया गया या कम्पनी ने कोई घ्कारण बताओङ नोटिस प्राप्त नहीं की और न ही कम्पनी पर कोई जुर्माना या शास्ति अथवा किसी तरह का कोई दण्ड लगाया गया था ।

32. वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की है ।

33. कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिये किसी न्यास की स्थापना नहीं की है और इसलिये अधिनियम की धारा 418 के अनुसार निर्धारित प्राधिकरण में भविष्य निधि में नियोक्ता की जमा और कर्मचारियों के अंशदान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हस्ता/-

दिनांक: 12 दिसंबर 2011 नाम: **वी.पद्मनाभन**

स्थान: बेंगलूर सीपी सं.6283

अनुबन्ध क

संवैधानिक पंजियाँ

1. धारा 150 के तहत सदस्यों की पंजी
2. धारा 193 के तहत मण्डल की कार्यवृत्त पुस्तक
3. धारा 193 के तहत महासभा की कार्यवृत्त पुस्तक
4. धारा 303 के तहत निदेशक पंजी
5. धारा 372 ए के तहत निवेश पंजी
6. धारा 301 के तहत संविदा पंजी

अन्य पंजियाँ

1. निदेशकों की हाजरी पंजी
2. हस्तांतरण पंजी

अनुबन्ध ख

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक के पास कम्पनी द्वारा दायर किये गये फार्म और रिटर्न

क्र.सं.	दर्ज दस्तावेज	धारा	घटना का उद्देश्य तथा दिनांक दिनांक	दर्ज कराने का	पावती सं.	क्या समय पर भरे गये
1.	फार्म 32	303	श्री के.के.श्रीधर मूर्ति का पद त्यागपत्र और डॉ. आर.आर. नवलगुंद का निदेशक के रूप में नियुक्ति	28.10.2010	ए 96758636	हाँ
2.	फार्म 23 एसी	220	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा	23.10.2010	पी 55370308	हाँ
3.	फार्म 66	383ए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र	23.10.2010	पी 55018402	हाँ
4.	फार्म 20 बी	159	23 सितम्बर, 2010 का वार्षिक रिटर्न	20.11.2010	पी 59898940	हाँ
5.	फार्म 32	303	श्री जी.बालचंद्रन का निदेशक से पदत्याग	19.01.2011	बी 03270105	हाँ

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
बेंगलूर

1. हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च 2011 के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।

2. हमने, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है । इन मानकों की अपेक्षा यह है कि क्या वित्तीय विवरण आर्थिक दृष्टि से गलत विवरण से मुक्त हैं, का तार्किक आश्वासन पाने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना कर, उसे संपन्न करें । लेखा परीक्षा में, परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकट की गयी राशि के समर्थन में साक्ष्य की जाँच शामिल है । लेखा परीक्षा में, उपयोग किये गये लेखा-विधि सिद्धांत और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों के मूल्यांकन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे विचारों के लिए एक तार्किक आधार प्रदान करती है ।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अनुसार भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 एवं कंपनियों द्वारा संशोधित (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 की अपेक्षानुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध में एक विवरण संलग्न किया है ।

4. आगे, उपरोक्त अनुबंध में विनिर्दिष्ट हमारी टिप्पणियों के बारे में हमें यह कहना है कि :

   (i) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उन सभी जानकारियों और स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

   (ii) हमारे विचार में, लेखा पुस्तकों की जाँच से यह पाया गया है कि कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखाओं को उचित रूप में बनाए रखा है ।

   (iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखापुस्तकों से सामंजस्य रखते है ।

   (iv) हमारे विचार में, इस रिपोर्ट में दर्शाए तुलन पत्र लाभ हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार है ।

   (v) 31 मार्च 2011 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मण्डल द्वारा किए गये रिकार्ड के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा के खण्ड (जी) के अनुसार 31.03.2011 को कोई भी निदेशक को निदेशक नियुक्त करने से अनर्ह नहीं किया गया है ।

5. आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है:

   i. नोट सं. 3 - विवादग्रस्त के.वी.ए.टी, सी.एस.टी एवं सेवा कर के संदर्भ में ₹. 374.13 करोड

   ii. नोट सं.15 - विविध कर्ज़दार, विविध लेनदार, अग्रिम वसूली एवं अन्य देय की शेष पुष्टि की अनुपलब्धता के संदर्भ में।

   iii. नोट सं. 17 - देय राशि व अन्तरिक्ष विभाग को भुगतान की गई राशि के बीच गैर-समायोजन के संदर्भ में।

6. i. मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ तय किए गए ठेके के अनुसार नियत तारीख के अंदर पूर्ण प्रचालनीय उपग्रह से पट्टे पर देने की क्षमता में असफल होने पर तुलन-पत्र की तारीख में विलंबित सुपुर्दगी जुर्माना के रूप में यूएस $ 5 मिलयन (₹ 21.89 करोड़) की निर्धारित क्षति (लिक्विडेटड डेमेज) के लिए उत्तरदायी होने के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन की राय में वर्तमान को कोई प्रावधान बनाना नहीं है, चूंकि विवाचन कार्यवाही से संबंधित मामला निर्णाधीन है।

ii. ठेके के तहत माल के लिए उत्तरदायित्व में उल्लंघन के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। कंपनी के समर्थन में कानूनी को राय को वैध दिखाता हुआ किसी ठोस प्रमाण की अनुपस्थिति में वित्तीय प्रतिघात और कंपनी के लेखा पर प्रभाव पर हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं।

7. हमारे विचार और हमारी पूर्ण जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और बशर्ते कि

   (i) उपर्युक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुबन्ध में दिये गये हमारे प्रेक्षणों

   (ii) उपर्युक्त पैरा 5 एवं 6 में संदर्भित टिप्पणियाँ, जिसका लाभ, रिज़र्व, परिसंपत्तियों और दायित्वों पर प्रभाव अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता है

उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित तरीके से सूचना देते हैं और भारत में सामन्यताया स्वीकृत लेखा-विधि सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित जानकारी देते हैं:

(क) तुलन-पत्र के संबंध में जब तक कि उसका संबंध 31.03.2011 की स्थिति दर्शायी गई है; और

(ख) लाभ एवं हानि लेखा के संबंध में जब तक कि उसका संबंध उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ की स्थिति दर्शायी गई है ।

(ग) नकद प्रवाह विवरणी के संबंध में जब तक कि उसका संबंध, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की नकद प्रवाह विवरणी दर्शाई गयी है ।

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं.000003S

हस्ता/-
(एस.रामानुजम)
भागीदार
सदस्यत्व सं.010943

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17-12-2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

हमारे समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 3 के संदर्भ में

1. क) कम्पनी ने मात्रात्मक विवरण तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शानेवाले उचित रिकार्डों को अद्यतन कर रही है ।

   ख) हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान मैनेजमेन्ट द्वारा इन स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई है और ऐसी जाँच-पड़ताल के समय कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं देखी गयीं ।

   ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई परिसंपत्ति पर्याप्त नहीं थे अत: कम्पनी की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं करता है ।

2. कम्पनी के पास कोई सम्पत्ति सूची नहीं है । अत: खण्ड (ii) (ए) (बी) व (सी) लागू नहीं होते हैं ।

3. कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचित कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से, न ही सुरक्षित/असुरक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है । अत:, इस खण्ड के अधीन आनेवाले मामलों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

4. हमारे विचार में और हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों के क्रय तथा माल की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली विद्यमान है ।

5. हमें दी गयी सूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि करने योग्य कोई लेन-देन नहीं हुआ है । अत: खण्ड (v) (बी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

6. कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. हमारे विचार में, कम्पनी के पास कम्पनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है ।

8. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत का रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया है ।

9. क) हमें उपलब्ध करायी गई रिकोर्ड के अनुसार, सेवा कर में नोटिस किए गए विलम्ब के अलावा, सामान्यत:, आय कर, बिक्री कर, उपकर तथा अन्य संवैधानिक शुल्कों सहित अन्य संवैधानिक शुल्कों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है । फिर भी कुछ आंशिक विलंब सेवा कर/ लाभांश वितरण कर के प्रेषण में देखा गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

देय तारीख	भुगतान तारीख	विवरण	राशि (₹)
06/07/2010	06/08/2010	वास्तविक माल सेवा की आपूर्ति के लिए सेवा कर	51,77,075
06/07/2010	12/01/2011	वास्तविक माल सेवा की आपूर्ति के लिए सेवा कर	4,43,260
06/09/2010	04/02/2011	वास्तविक माल सेवा की आपूर्ति के लिए सेवा कर	24,559
06/10/2010	04/02/2011	वास्तविक माल सेवा की आपूर्ति के लिए सेवा कर	5,88,305
13/10/2009	26/05/2010	वि.व.2008-09 के लिए लाभांश वितरण कर	5,11,54,950

ख) हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा-परीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी पर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और उपकर के संबंध में कोई मान्य राशि बकाये में भुगतान नहीं किए गए, जैसा कि 31 मार्च 2011 की तारीख से छ: महीने से अधिक अवधि में भुगतान किए जाने थे।

घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मान्य देय के ब्यौरे निम्नानुसार है जो संबंधित को जमा नहीं किए गए हैं।

संविधि का नाम	**देय का प्रकार**	**राशि (करोड)**	**फोरम जहाँ अपवाद विलंब है**
कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम	के.वी.ए.टी.	201.02	माननीय उच्चतम न्यायालय
कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम	सी.एस.टी.	4.93	
कुल		205.95	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायालय (सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरू)

10. कम्पनी में कोई संचयित हानि नहीं हुई और कम्पनी को हमारे लेखा-परीक्षाधीन वित्त वर्ष व इस वित्त वर्ष के पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है ।

11. कम्पनी को किसी भी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को कोई बाकी देना नहीं है ।

12. हमारी जाँच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयर डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखते हुए कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

13. कम्पनी को कोई चिट/निधि/परस्पर लाभ कारी निधि/सोसाइटी नहीं है और ऐसे भी इस आदेश का खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

14. कम्पनी साझा कोष के अलावा किसी शेयर प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यवहार या लेन-देन नहीं कर रही है। इन व्यवहारों के संबंध में सही रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है और ठेके और समय पर प्रविष्टियाँ उसमें की जाती है। इन निवेशों को कंपनी के नाम पर किया गया है।

15. हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है ।

17. लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी ने अल्पावधि निधि प्राप्त नहीं की हैं और दीर्घावधि निवेश हेतु उसका उपयोग नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी पार्टी और कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 301 के तहत अनुरक्षित पंजी के आवरण की कंपनी को कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है ।

19. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी संरक्षित डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

20. कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई रकम प्राप्त नहीं की है ।

21. स्वीकृत लेखा-परीक्षा कार्यावाही के आधार पर और हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान, कम्पनी पर धोखा होता नहीं देखा गया है और न ही कम्पनी पर किसी को धोखा देने का आरोप लगाया गया है ।

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं.000003S

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17.12.2011

हस्ता/-
(एस.रामानुजम)
भागीदार
सदस्यत्व सं.010943

दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लि. , बेंगलूर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संवैधानिक लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा विधि और आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत् इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है । उनके दिनांक 17 दिसंबर, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऐसा करने के बारे में उल्लेख है ।

मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है । यह पूरक लेखापरीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागज़ात प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और प्राथमिक रूप से यह संवैधानिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और चयनित कुछ लेखाविधि रिकार्डों तक हीं सीमित है । मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत् सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक में कोई ऐसी बात जिस पर टिप्पणी की जाय, मेरी जानकारी में नही आई हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(सी एच खारसिंह, आई.ए.व ए.एस.)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

स्थान: बेंगलूर
दिनांक: 28.12.2011

वित्त संबंधी ब्यौरेवार

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन पत्र

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2011 के अनुसार रुपये	31 मार्च 2010 के अनुसार रुपये
निधि के स्त्रोत			
शेयरधारियों की निधि :			
पूँजी	1	100,00,000	10,000,000
रिज़र्व तथा अधिशेष	2	6,69,15,00,612	5,62,67,59,179
जोड़		**6,70,15,00,612**	**5,63,67,59,179**
निधि के उपयोग:			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ:	3		
सकल निरुद्ध		1,53,08,909	1,47,28,787
घटाइए: मूल्य ह्रास		1,13,69,994	1,01,46,235
निवल निरुद्ध		39,38,915	45,82,552
प्रमुख कार्य प्रगति पर		6,49,99,315	3,49,19,572
निवेश	4	2,00,05,19,012	2,29,38,59,047
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ		9,03,08,931	8,30,75,296
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ			
विविध देनदार	5	3,07,90,41,923	1,62,86,92,872
नकद तथा बैंक शेष	6	9,67,65,47,646	8,79,22,10,831
ऋण तथा पेशगियाँ	7	6,95,95,40,647	5,44,84,12,224
घटाइए : चालू देयताएं तथा प्रावधान			
देयताएं	8	14,84,83,68,219	12,34,30,18,062
प्रावधान	9	32,50,27,558	30,59,75,153
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ		4,54,17,34,439	3,22,03,22,712
जोड		**6,70,15,00,612**	**5,63,67,59,179**
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूची 1 से 9, 17 और 18 इस तुलन पत्र के अनिवार्य भाग हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं.000003S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(एस.रामानुजम)
भागीदार
सदस्यता सं.:010943

हस्ता/-
(डॉ.वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
डॉ. टी.के.अलेक्स
निदेशक

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये
आय			
निर्यात		1,02,20,32,852	3,64,22,463
विदेशी (अन्य) प्राप्तियाँ	10	89,05,68,934	72,86,36,483
अन्तर्देशीय बिक्री		69,68,21,137	34,33,91,000
अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियाँ	11	7,74,22,20,086	6,87,92,85,436
		10,35,16,43,009	7,98,77,35,382
अन्य आय	12	79,03,26,816	85,14,80,287
जोड़		**11,14,19,69,825**	**8,83,92,15,669**
व्यय			
निर्यात लागत		67,88,10,712	2,90,79,614
विदेशी (अन्य) प्राप्तियों की लागत	13	60,13,16,079	48,24,91,672
अन्तर्देशीय बिक्री लागत		64,62,47,439	32,83,80,111
अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियों की लागत	14	6,98,84,42,474	6,07,68,95,002
		8,91,48,16,704	6,91,68,46,399
प्रशासनिक व्यय	15	5,34,85,645	5,46,14,748
मूल्यह्रास	3	12,23,759	12,58,433
संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	16	2,72,08,918	19,62,81,387
जोड़		**8,99,67,35,026**	**7,16,90,00,967**
असामान्य मद के पहले लाभ		**2,14,52,34,799**	**1,67,02,14,702**
असामान्य आय		14,23,223	0
कर के पहले लाभ व पूर्व अवधि के समायोजन		**2,14,66,58,022**	**1,67,02,14,702**
पूर्व अवधि आय		6,07,37,722	16,52,75,602
पूर्व अवधि व्यय		6,71,85,960	35,58,57,410
कर के पहले लाभ		**2,14,02,09,784**	**1,47,96,32,894**
कर व्यय :			
- चालू कर		69,16,00,000	469,000,000
- पिछले वर्षों में आय कर हेतु कम/ज्यादा प्रावधान		6,63,35,372	69,00,027
- पिछले वर्षों में एफबीटी हेतु कम/ज्यादा प्रावधान		8,27,507	75,875
- इस वर्ष के दौरान व्युत्पन्न आस्थगित कर(बचत)		91,23,044	6,63,86,846
- इस वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित आस्थगित कर (बचत/व्यय)		18,89,409	3,486
कर के बाद लाभ		**1,38,86,80,540**	**1,08,39,99,129**
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित		1,06,46,00,000	83,00,00,000
प्रस्तावित लाभांश		27,78,00,000	21,70,00,000
वितरित लाभ पर कर		4,61,39,107	3,68,79,150
तुलनपत्र को स्थानांतरित अधिशेष		**1,41,433**	**1,19,979**
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	18		
प्रति शेयर के मूल आय की गणना में न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त राशि		1,38,86,80,540	108,39,99,129
शेयर के मूल आय की गणना में डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
प्रत्येक इक्विटी शेयर की नामिक मूल्य 100 रुपये है और प्रति शेयर का मूल आय		13,886.81	10,839.99

अनुसूची 3, 10 से 18 इस लाभ तथा हानि लेखा के अनिवार्य भाग हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
रजिस्ट्रेशन सं.000003S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(एस.रामानुजम)
भागीदार
सदस्यता सं.:010943

हस्ता/-
(डॉ.वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
डॉ. टी.के.अलेक्स
निदेशक

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान: तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

31 मार्च 2011 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

	31 मार्च 2010 के अनुसार रुपये	31 मार्च 2009 के अनुसार रुपये
अनुसूची 1 : पूँजी		
प्राधिकृत		
100 रु प्रति शेयर के 5,00,000 इक्विटी शेयर	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**
निर्गम, अभिदत्त और प्रदत्त		
100 रु प्रति शेयर के 1,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,000	1,00,00,000
अनुसूची 2 : रिजर्व तथा अधिशेष		
सामान्य रिजर्व :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,62,29,00,000	4,79,29,00,000
जोड:लाभ व हानि लेखा से अंतरित	1,06,46,00,000	83,00,00,000
	6,68,75,00,000	5,62,29,00,000
अधिशेष :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	38,59,179	37,39,200
लाभ और हानि लेखा से अंतरित	1,41,433	1,19,979
	40,00,612	38,59,179
	6,69,15,00,612	**5,62,67,59,179**
अनुसूची 4: निवेश		
म्यूचुअल फण्ड में		
उद्धृत लागत पर गैर व्यापार		
दीर्घावधि निवेश		
एस.बी.आई. एम.एफ. एस.डी.एफ.एस.- 15 माह - 6 बढ़ोत्तरी (2,50,00,000 दर @ ₹. 10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. ₹.25,36,27,500 @ ₹. 10.1451 प्रति निवेश किया)	25,00,00,000	0
एस.बी.आई. एम.एफ. एस.डी.एफ.एस.- 370 दिन - 4 बढ़ोत्तरी (2,50,00,000 दर @ ₹. 10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. ₹.26,34,15,000 @ ₹. 10.5366 प्रति निवेश किया)	25,00,00,000	0
यूटीआई एमएफ- सावधिक परिपक्वता योजना - वार्षिक सा.प.यो. श्रृंखला (वा.सा.प.यो.1/11) (2,50,00,000 दर @ ₹. 10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. ₹.25,51,30,000 @ ₹. 10.2052 प्रति निवेश किया)	25,00,00,000	0
यूटीआई एमएफ- सावधिक परिपक्वता योजना - वार्षिक सा.प.यो. श्रृंखला (वा.सा.प.यो.11/09) (पिछले वर्ष - 50000000 दर @ ₹. 10 प्रति - एन.ए.वी. ₹.50,83,25,000 @ ₹. 10.1665 निवेशित)	0	50,00,00,000
यूटीआई एमएफ- सावधिक आय निधि श्रृंखला VII - III (2,50,00,000 दर @ ₹. 10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. ₹.26,52,32,500 @ ₹. 10.6093 प्रति निवेश किया)	25,00,00,000	0
यूटीआई एमएफ- सावधिक परिपक्वता योजना - वार्षिक श्रृंखला (वा.सा.प.यो.09/09) (पिछले वर्ष - 50000000 दर @ ₹. 10 प्रति - एन.ए.वी. ₹.51,87,10000 @ ₹. 10.3742 निवेशित)	0	50,00,00,000
उप कुल (ए)	**1,00,00,00,000**	**1,00,00,00,000**
वर्तमान निवेश		
केनरा रोबेको एम.एफ. - टेरी अड्वन्ट सुपर संस्थान (12. 4071 ₹. प्रति शेयर के दर पर 40318654.58 यूनिटों में निवेश)	50,02,37,579	0
केनरा रोबेको एम.एफ. - टेरी अड्वन्ट सुपर संस्थान (पिछले वर्ष 12. 4071 ₹. प्रति शेयर के दर पर 41236543.9545 यूनिटों में निवेश)	0	51,16,25,925
यू.टी.आई. फ्लोटिंग दर निधि - अल्पावधि योजना (1000.7707 ₹. प्रति शेयर के दर पर 4,99,896.163 यूनिटों में निवेश)	50,02,81,433	0
जीवन बीमा निगम का म्यूचुअल फण्ड (लिक्विड प्लस) (पिछले वर्ष 10.00 ₹. प्रति शेयर के दर पर 29870521.561 यूनिटों में निवेश)	0	29,87,05,215
यूटीआई अल्पावधि लिक्विट - अल्पावधि योजना (पिछले वर्ष 10.0608 ₹. प्रति शेयर के दर पर 248848918.575 यूनिटों में निवेश)	0	25,00,00,000
यूटीआई-एमएफ खजाना लाभदायक निधि निवेश (पिछले वर्ष 1000.2141 ₹. प्रति शेयर के दर पर 233477.919 यूनिटों में निवेश)	0	23,35,27,907
उप कुल (बी)	**1,00,05,19,012**	**1,29,38,59,047**
कुल योग (ए + बी)	**2,00,05,19,012**	**2,29,38,59,047**

अनुसूची 3 : स्थाई परिसंपत्तियाँ

(आँकड़े रुपयों में)

		कुल निरुद्ध (लागत)				मूल्य ह्रास (डब्ल्यू.डी.वी.पद्धति के अन्तर्गत)				निवल निरुद्ध (डब्लयू.डी.वी.)	
क्र. सं.	विवरण	31.3.10 के अनुसार	जोड़	बिक्री/ हस्तांतरण	31.3.11 के अनुसार	31.3.10 तक	वर्ष के लिए	घटाव	31.3.11 तक	31.3.11 के अनुसार	31.03.10 के अनुसार
1	कार्यालय उपस्कर	34,30,205	86,725		35,16,930	15,24,094	2,79,047		18,03,141	17,13,789	19,06,111
2	फर्निचर और फिट्टिंग	59,84,369	69,416		60,53,785	45,93,687	2,54,059		48,47,746	12,06,039	13,90,682
3	कम्प्यूटर	43,49,990	3,26,069		46,76,059	34,82,950	4,91,242		39,74,192	7,01,867	8,67,040
4	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	9,64,223	97,912		10,62,135	5,45,504	1,99,411		7,44,915	3,17,220	4,18,719
	कुल	**1,47,28,787**	**5,80,122**		**1,53,08,909**	**1,01,46,235**	**12,23,759**		**1,13,69,994**	**39,38,915**	**45,82,552**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	1,37,57,344	9,71,443		1,47,28,787	88,87,802	12,58,433		1,01,46,235	45,82,552	48,69,542

31 मार्च 2010 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

	31 मार्च 2011 के अनुसार रुपये	31 मार्च 2010 के अनुसार रुपये
अनुसूची 5: विविध देयदार		
(अनारक्षित)		
छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
- खरे माने गये	92,45,95,111	1,17,49,30,624
- संदिग्ध माने गये	27,05,48,095	24,33,39,177
अन्य ऋण (खरे माने गये)	2,15,44,46,812	45,37,62,248
	3,34,95,90,018	**1,87,20,32,049**
घटाइए:संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	27,05,48,095	24,33,39,177
	3,07,90,41,923	**1,62,86,92,872**
अनुसूची 6 : नकद तथा बैंक खाते का शेष		
नकद शेष	14,454	10,109
अनुसूचित बैंको में जमा बैंक शेष:		
चालू खाते में	41,73,80,055	23,50,51,251
जमा खाते में	9,25,91,53,137	8,55,71,49,471
	9,67,65,47,646	**8,79,22,10,831**
अनुसूची 7: ऋण तथा पेशगियाँ		
(अनारक्षित-खरे माने गये)		
नकद अथवा अन्य प्रकार अथवा वसूल किये जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य पेशगियाँ	6,61,91,15,170	5,15,84,98,394
बैंकों में जमाराशि पर प्राप्त ब्याज	34,04,25,477	28,99,13,830
	6,95,95,40,647	**5,44,84,12,224**
अनुसूची 8: देयताएँ		
चालू देयताएँ		
विविध लेनदार	2,07,66,96,022	77,71,72,511
(एसएसआई उपक्रमों, माइक्रो एन्टरप्राइसेस तथा लघु उद्यम को बाकी - शून्य)		
अन्य देयताएँ	12,77,16,72,197	11,56,58,45,551
	14,84,83,68,219	**12,34,30,18,062**
अनुसूची 9: प्रावधान		
आयकर के लिए	0	0
प्रस्तावित लाभांश के लिए	27,78,00,000	21,70,00,000
वितरित लाभ पर कर के लिए वि.व.2008-09	0	5,11,54,950
वितरित लाभ पर कर के लिए	4,61,39,107	3,68,79,150
उपादान के लिए	5,17,065	4,72,818
छुट्टी नकदीकरण के लिए	5,71,386	4,68,235
	32,50,27,558	**30,59,75,153**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये
अनुसूची 10: विदेशी (अन्य) प्राप्तियाँ		
अभिगम शुल्क व रायल्टी प्राप्तियाँ	29,82,81,081	25,98,18,271
मेजबान सुविधा संबंधी प्राप्तियाँ	18,51,27,430	22,08,45,426
अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार संबंधी प्राप्तियाँ	26,56,52,661	23,49,62,140
परामर्शिता सेवा संबंधी प्राप्तियाँ	14,15,07,762	70,53,643
जाँच व अनुरक्षण सेवा संबंधी प्राप्तियाँ		59,57,003
	89,05,68,934	**72,86,36,483**
अनुसूची 11: अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियाँ		
अभिगम शुल्क व रायल्टी प्राप्तियाँ		8,28,000
अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार संबंधी प्राप्तियाँ	7,36,46,21,165	6,83,64,10,200
परामर्शिता सेवा संबंधी प्राप्तियाँ	37,75,98,921	4,20,47,236
	7,74,22,20,086	**6,87,92,85,436**
अनुसूची 12: अन्य आय		
प्राप्त ब्याज :		
(सकल : टीडीएस-रु.5,04,41,063-; पिछले वर्ष रु. 7,53,79,412/-)		
- बैंक में जमा राशि पर	62,03,34,036	63,02,71,112
- पेशगी और देनदारों पर	1,94,56,933	4,03,470
मूचुअल फण्ड निवेश पर लाभांश प्राप्ति	2,18,92,292	6,22,22,726
मूचुअल फण्ड निवेश पर प्रमुख लाभ	8,80,49,588	5,18,29,508
देयता जो बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं	0	3,225
संदिग्धपूर्ण ऋण जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं है,	0	12,50,347
विविध आय	4,05,93,967	10,54,99,899
	79,03,26,816	**85,14,80,287**
अनुसूची 13: विदेशी (अन्य) प्राप्तियों की लागत		
अभिगम शुल्क व रायल्टी लागत	18,76,48,134	12,04,90,556
मेजबान सुविधा संबंधी लागत	12,31,69,550	16,00,26,649
अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार संबंधी लागत	22,78,30,311	19,43,34,034
परामर्शिता सेवा संबंधी लागत	6,26,68,084	40,68,813
जाँच व अनुरक्षण सेवा संबंधी प्राप्तियाँ	0	35,71,620
	60,13,16,079	**48,24,91,672**
अनुसूची 14: अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियों की लागत		
अभिगम शुल्क व रायल्टी लागत		3,31,200
अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार संबंधी लागत	6,63,46,97,690	6,03,74,90,027
परामर्शिता सेवा संबंधी लागत	35,37,44,784	3,90,73,775
	6,98,84,42,474	**6,07,68,95,002**

31 मार्च को 2011 समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये
अनुसूची 15: प्रशासनिक व्यय		
वेतन और बोनस	51,79,133	46,25,751
कर्मचारी कल्याण	6,05,364	7,74,616
छुट्टी यात्रा रियायत	6,03,509	2,75,875
दत्त छुट्टी नकदीकरण	26,796	0
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	1,03,151	58,020
उपदान प्रावधान	44,247	2,07,862
पट्टे/किराया प्रभार	10,000	10,000
कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	23,300	2,42,024
स्थापना व्यय	1,02,88,721	70,44,268
संगोष्ठी एवं सम्मेलन संबंधी व्यय	3,48,330	18,34,850
प्रचार एवं विज्ञापन	11,07,000	9,88,500
प्रदर्शनी व व्यवसाय मेला	54,93,225	39,05,588
ब्याज भुगतान	45,36,370	38,98,281
यात्रा व्यय	36,85,210	30,85,954
मुद्रण और लेखन सामग्री	12,00,124	5,54,937
परामर्शिता तथा व्यावसायिक शुल्क	37,29,335	1,11,66,464
दर तथा कर	84,162	2,12,339
सवारी और टैक्सी भाड़ा	21,87,416	15,93,019
निदेशकों का बैठक संबंधी शुल्क	0	10,000
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक :		
- लेखा परीक्षा हेतु	1,40,000	1,30,000
- सेवा कर के लिए	14,420	20,000
- अतिरिक्त खर्च के लिए	0	35,680
बैंक गारंटी तथा एल सी प्रभार	6,14,423	14,88,716
संचार संबंधी खर्च	20,36,608	17,08,046
मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	14,28,437	10,76,050
बैंक प्रभार	3,28,045	6,18,298
ग्राहकों की सेवा/उपचार व्यय	6,52,960	9,89,370
विविध व्यय	90,15,359	80,60,240
	5,34,85,645	**5,46,14,748**
अनुसूची 16: संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	2,72,08,918	19,62,81,387
	2,72,08,918	**19,62,81,387**

अनुसूची 17 : लेखा विधि संबंधी नीतियाँ

1) **आय :**

(i) **सामान्य :**

कम्पनी चालू संस्था, एकरूपता और लेखा की उपचित पद्धति नामक मूलभूत लेखा-विधि संबंधी पूर्वधारणा का अनुसरण करती है जब तक लेखा विधि संबंधी नीति में अन्यथा न कहा गया हो।

(ii) **बिक्री :**

आय तब स्वीकार की जाती है जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेका दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। परन्तु, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो आय स्वीकार कर ली जाती है, इस बात के होते हुए भी भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, जब तक कि यह आशा है कि सुपुर्दगी की जायेगी और माल सुपुर्दगी के लिए तैयार है और यदि सुपुर्दगी की संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्ते है तो आय को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(iii) **सेवाएँ**

(क) **प्रमोचन, संस्थापना, कमीशन और परीक्षा एवं निर्माण कार्य**

आय, काम के पूरा होने के चरण तक निर्दिष्ट होने के बाद स्वीकार की गई है जैसे कि ठेके में विनिर्देश है कि कहे गए चरण को पूरा करने के अनुकूल लागत का लेखाकरण किया जाएगा।

(ख) **अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड प्रभार, दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश, कक्षा में परीक्षा आदि**

आय, प्रदान की जानेवाली या ठेके में ली गई सेवा की प्रकृति जो एक बारी की सेवा है या अनुवर्ती सेवा देने के अनुसार शीघ्र ही या आवधिक में स्वीकार की गई है।

(iv) **परामर्शिता :**

आय, प्रदान की जाने वाली या ठेके पर ली गई परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर शीघ्र स्वीकार की गई है।

(v) **सम्मिश्र ठेका :**

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए आय उपरोक्त (ii) से (v) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार की गई है।

(vi) **अन्य आय :**

(क) **ब्याज :**

ब्याज से आय उपचित आधार पर स्वीकार की गई है। परन्तु, देनदार से ब्याज की आय, मात्र वसूली पर ठेके के अनुसार, समय के अनुपात के आधार पर स्वीकार की गई है।

(ख) **रॉयल्टी :**

रॉयल्टी का नकद आधार पर लेखा-जोखा रखा गया है।

(ग) **निवेश से प्राप्त लाभांश :**

जब भुगतान पाने का कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाए।

(घ) **विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव :**

विदेशी मुद्र में उतार-चढाव को, निर्यात तथा विदेशी(अन्य) प्राप्तियों के संबंधित मूल्य में शामिल किया गया है।

2) **व्यय :**

इसरो को देय निर्यात, विदेशी(अन्य) प्राप्तियों, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय(अन्य) प्राप्तियों की लागत का लेखा-जोखा, इसरो तथा कम्पनी के बीच पारस्परिक सहमति और अनुमोदन के अनुसार रखा गया है।

3) **स्थायी परिसम्पतियाँ :**

ऐतिहासिक लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखा गया है।

4) **मूल्य ह्रास :**

स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वेल्यू पद्धति के तहत प्रदान किया गया है।

5) मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11:

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देन का उक्त दिन के विनिमय दर के हिसाब से लेखा-जोखा रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा में धन-राशि प्राप्त कर या उसके भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित बाकी रही आर्थिक परिसम्मत्तियाँ अथवा देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में लागू विनिमय दर अथवा तदनन्तर निपटान की गई दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और उतार-चढाव को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया गया है।

6) उक्त अवधि, अवधि पूर्व की मदों के लिए निवल लाभ व हानि और लेखा में परिवर्तन ए.एस.5 :

आय व व्यय की ऐसी सभी मदें जिन्हें एक अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त हो, जब तक लेखा विधि मानक की आवश्यकता हो या अन्यथा अनुमति हो, उक्त अवधि के निवल लाभ व हानि के निर्धारण में शामिल की जाएँगी। एक या अधिक पूर्व की अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली गलती या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय व व्यय के रूप मान्यता दी गई है।

7) परिसम्पत्तियों की हानि - ए.एस-28 :

जब परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली लागत से ज्यादा होती है तो परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता हे जिसे वर्ष परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान स्वीकृत अपसामान्य हानि को, वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित किया जाता है।

8) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ -ए.एस-29 :

ऐसे प्रावधान जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त मात्रा शामिल होती है, को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बनती है और यह संभव हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा। आकस्मिक देयताओं को पहचाना नहीं गया है परन्तु टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न ही पहचाना गया है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

9) संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान :

ऋण जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य खंड उद्यम में देय है को हर मामलें के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं, को छोड़ सभी संदिग्ध ऋण जो तीन साल से ज़्यादा बकाया है के लिए प्रावधान बनाए गए है।

10) निवेश :

एक साल से अधिक तक रखे गए निवेश को दीर्घ कालीन निवेश और सभी अन्य निवेशों को चालू निवेश में वर्गीकृत किया है। चालू निवेश की अग्रेणीत राशि लागत तथा उचित मूल्य से कम है। दीर्घकालीन निवेश लागत के समान होते हैं। परन्तु, जब अस्थायी के अलावा, दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास होता है तक अग्रेणीत राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसके अग्रेणीत राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय, को लाभ तथा हानि लेखा विवरण में दर्शाया जाता है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं.000003S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(एस.रामानुजम)	**डॉ.वी.एस. हेगडे**	**डॉ.टी.के. अलेक्स**
भागीदार	अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक	निदेशक
सदस्यता सं.010943		

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17.12.2011

अनुसूची 18 : लेखाओं पर टिप्पणी

1. केन्द्र सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 14.07.2011 के आदेश सं.46/119/2011-सीएल-III के द्वारा कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211(4) के अधीन मार्च 31, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 3(i), 3(ii), 3(iii), 3(x)(ए), 3(XV), 4-सी और 4-डी, जिसे दिनांक 30 अक्तूबर, 1973 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.494(ई) द्वारा संशोधित किया गया है, के अधीन सूचनाओं तथा लेखाओं के विवरण से संबंधित ब्यौरे के प्रकटन से छूट प्रदान कर दी है ।

2. परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव तथा वर्षांत की मुद्रा दर और उनके संबंधित लाभ-हानि लेखे में नामे/जमा का ब्यौरा इस प्रकार है :

परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ	विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव रु.	डी.आर/ सी.आर	वर्षांत की मुद्रा दर रु	डी.आर/ सी.आर	लाभ और हानि लेखा
(क) विविध देनदार - निर्यात	8,94,271	डी.आर	3,68,658	सी.आर	(निर्यात मूल्य के नामे डाला गया/जमा किया गया)
	(96,96,847)	डी.आर	(2,94,713)	डी.आर	निर्यात मूल्य के नामे डाला गया
(ख) विविध देनदार - विदेशी प्राप्तियाँ	8,89,204	सी.आर	9,33,899	सी.आर	विदेशी (अन्य) प्राप्तियों के मूल्य को जमा किया गया
	(1,73,78,491)	डी.आर	(3,29,88,066)	डी.आर	विदेशी (अन्य) प्राप्तियों के मूल्य में नामे डाले गए
(ग) विविध देनदार-स्थानीय	–		–		-
	(1,37,02,925)	सी.आर	–	सी.आर	अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार को जमा किया गया
(घ) बैंक जमा और चालू खाते, वसूली योग्य अग्रिम,	3,59,74,274	सी.आर	69,94,692	डी.आर	विविध आय/व्यय में जमा किया गया/के नामे डाला गया
अन्य देयताएँ तथा विविध लेनदार	(34,09,921)	सी.आर	(7,07,56,318)	सी.आर	विविध आय में जमा किया गया
कुल	**3,59,69,207**	**सी.आर**	**56,92,135**	**डी.आर**	
	(99,62,492)	**डी.आर**	**(3,74,73,539)**	**सी.आर**	

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं ।
डी.आर - Debit; सी.आर - Credit

3. केनरा बैंक के जमा खाते के बैंक शेष में 26,520/- रु. (पिछले वर्ष 24,381/-रु) जो प्रतिभूति के रूप में "सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जिला "V" सर्किल, बेंगलूर खाता एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड" के नाम मियादी जमा खाते में रखी गई है ।

4. आकस्मिक देयताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	01.04.2010 को अथ शेष (रु.)	वर्ष के दौरान (रद्द करण)/मांग	31.03.2011 को अंत शेष (रु.)
क) बैंक गारंटी	7,15,73,452	(6,86,70,652)	29,02,800
ख) के-वैट व सीएसटी के अधीन विवादित माँग (पेनाल्टी एवं ब्याज सहित)	2,05,95,55,859	1,67,11,98,273	3,73,07,54,132
ग) सेवा कर और दण्ड के अधीन विवादित माँग (ब्याज को छोड़कर)	1,06,00,934	-	1,06,00,934
कुल	**₹2,14,17,30,245**	**₹1,60,25,27,621**	**₹3,74,42,57,866**

5. क) बैंक गारंटी के विवरण निम्नानुसार हैं:-						
लाभ भोगी का नाम व बैंक गारंटी जारीकर्ता बैंक	01.04.2010 के अनुसार अथ शेष		वर्ष के दौरान जोड़/(रद्द करण)		31.03.2011 के अनुसार अंत शेष	
	विदेशी मुद्रा में धन-राशि	राशि (₹)	विदेशी मुद्रा में धन-राशि	राशि (₹)	विदेशी मुद्रा में धन-राशि	राशि (₹)
पॉवर फैनान्स कार्पोरेशन (केनरा बैंक - द्वारा जारी बैंक गारंटी)	-	20,00,000	-	-	-	20,00,000
अल्जीरियन स्पेस एजेन्सी (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी)	यूरो 2,75,000	1,68,60,250	(यूरो 2,75,000)	(1,68,60,250)	-	-
नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्टोग्राफी एण्ड रिमोट सेन्सिंग, अल्जीरिया (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी)	यूएस$ 20,000	9,11,600	-	(8,800)*	यूएस$ 20,000	9,02,800*
नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्टोग्राफी एण्ड रिमोट सेन्सिंग, अल्जीरिया (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी)	यूएस$ 11,36,498.50	5,18,01,602	(यूएस$ 11,36,498.50)	(5,18,01,602)	-	-
बैंक गारंटी का कुल मूल्य		7,15,73,452		(6,86,70,652)		29,02,800

**31.03.2011 को एफ.इ की बदलाव के कारण मूल्य में कमी हैं।*

उपरोक्त के विपरीत, कम्पनी ने कैनरा बैंक में 20,00,000/- (गत वर्ष 1,40,00,000 रु.) के मूल्य की मियादी जमा रसीद और भारतीय स्टेट बैंक में 5,00,00,000/- रु. मूल्य (गत वर्ष 25,46,25,090/- रु.) की मियादी जमा रसीद उन्हें विधिवत् प्रतिभूत/ निरसन करते हुए जमा करवाई हैं । फिलहाल, ए.एस.-29 में यथा निर्दिष्ट कोई प्रावधान नहीं किया गया है और तदनुसार, पैरा 66 एवं 67 में प्रकटीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

ख) के.वी.ए.टी. के तहत् 201.02 करोड़ रुपये और सी.एस.टी. अधिनियम के तहत् 4.93 करोड़ रुपये (कुल 205.95 करोड़ रुपये) जिसमें 01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए दण्ड भी शामिल है, की माँग के प्रति, कम्पनी ने वाणिज्यिक कर प्राधिकार के उक्त आदेश के विरुद्ध कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय की डिविज़न बेंच ने वाणिज्यिक कर विभाग की माँग का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया । उक्त आदेश से नाखुश होकर कम्पनी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50 करोड़ रुपये के राशि को कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग के साथ जमा करने का निदेश देते हुए 12.03.2010 को अंतरिम आदेश जारी किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंपनी को भविष्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिवाद आदेश को कार्यान्वित करने का निदेश दिया जिसको उसके दूसरे अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 द्वारा तदनंतर रोका गया था।माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश इस प्रकार दिया - "निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही करने दिया जाए पर अगले आदेशों तक कोई वसूली न की जाए" यह मामला विचाराधीन है।

ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 के अनुसार निर्धारण अधिकारी ने अगली अवधि अगस्त 2008 से मार्च 2010 के लिए कंपनी के राजस्व का निर्धारण किया और दिनांक 19.8.2010 को ब्याज और पेनेल्टि सहित

167.12 करोड का केवीएटी उद्ग्रहण किया है। कंपनी ने इस निर्धारण आदेश के विरोध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के सामने की डबल्यू.पी.सं.30308/2010 दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार किया है और यह मामला विचाराधीन है।

घ) सेवा कर आयुक्त, अधिक करदाता यूनिट, बेंगलूर ने 2003-2005 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर निर्माण, अभिचालन और स्थापना के तहत् रु.53,00,467/- और उतनी ही राशि के दण्ड के साथ, कुल मिलाकर, रु.1,06,00,934/- के सेवा कर की देयता का आदेश दिया है । इस आदेश के प्रति सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकारण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर में अपील किया जा रहा है । मामला दो बार 08.10.2010 और 07.01.2011 को न्यायालय के सामने आया और विवाद समिति (सी.ओ.डी.) के स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया गया। सी.ओ.डी. 27.01.2011 को बैठक हुई और उनके पत्र सं.सी.ओ.डी./08/2011 दिनांक 07.02.2011 के अनुसार कंपनी को सहमति दी गई कि वह न्यायालय के सामने अपील दाखिल करें। न्यायालय ने 11.04.2011 को मामला को सूचीबद्ध किया पर सुनवाई के लिए नहीं लिया गया और मामला 12.01.2012 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

6. अंतरिक्ष विभाग ने पत्र सं. बी31012/3/2011-अनु.5 दिनांक 23/02/2011 द्वारा कंपनी को मेसर्स देवास मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (देवास) के साथ 28.1.2005 को किए गए करार को रद्द करने का निदेश दिया। कंपनी ने पत्र सं. Antx/07-85(02)/2011 दिनांक 25.02.2011 के अनुसार करार तत्काल रद्द कर केन्द्रीय सरकार की नीति निर्णय को सूचित किया कि एस-बैंड में कक्षीय स्लॉट कंपनी को वाणिज्यक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध न कराया जाए। केन्द्रीय सरकार ने शासन क्षमता के रूप में नीति निर्णय लिया है और यह अपरिहार्य घटना है जो 23/02/2011 को हुई और अनिश्चित है और यह कंपनी के तर्क संगत नियंत्रण से परे है। यह अपरिहार्य घटना करार के धारा 11(बी) (वी) के तहत है। कंपनी के द्वारा करार के अनुसार उत्तरदायित्व को फिर लेने की संभावनो हो तो इस समापन को निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने इस करार के समापन पर देवास से प्राप्त आरक्षण प्रभार ₹. 58.37 को वापस कर दिया है। परंतु देवास ने लौटाए धन को नहीं लिया और कंपनी को कही राशि वापस दे दिया है। देवास ने 29.6.2011 को अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवाच अदालत पैरिस में विवाचन याचिका दर्ज किया है कि करार को पुनः बनाने का निवेदन किया है। कंपनी आई.सी.सी. के तहत विवेचन से सहमत नहीं है और इसी सूचना पत्र दिनांक 11.7.2011 द्वारा किया गया और आई.सी.सी. के साथ तदनंतर पत्राचार में इसकी पुनरावृत्ति की है। कंपनी ने करार के तहत उपलब्ध विवाचन कार्यवाही का आह्वान किया है और 30.7.20411 को देवास को विवेचन नोटिस जारी किया है और माननीय उच्चतम-न्यायालय में भी याचिका दर्ज किया है कि करार के अनुसार देवास को विवेचकों की नियुक्ति का निदेश देने का विवेचन किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सिविल जड्ज, बैंगलूरु में भी विवाचन आवेदन और मुकदमा दाखिल किया है कि देवास द्वारा प्रारंभ आई.सी.सी. कार्यवाहियों को समादेश किया जाए। विवेचन निर्णय अंतिम व्यवस्था पर उचित लेखा उपचार किया जाएगा और वर्ष के लेखा में उचित प्रतिपादन दिया जाएगा।

7. हैलास उपग्रह की ठेके में विलंबित सुपुर्दगी के संभावित निर्धारित क्षति सहित निर्यात का मूल्य ₹. 10.18 करोड है।

8. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान कंपनी ने 16150 सोने के सिक्के जो 4 ग्राम के ₹. 7.10 करोड मूल्य प्राप्त किए गए और कंपनी की 15वी. जयंती पर अंतरिक्ष विभाग की अनुमति पर इसरो/अं.वि./एन्ट्रीकस के कर्मचारियों को दिया गया और उसी वर्ष पूरी राशि को अतिथि-सत्कार व्यय के रूप में लेखे में डाला गया। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार यह अ-व्यवसायिक व्यय होने पर कंपनी ने इस आय की राशि में जोड़ दिया और वर्ष में तदानुसार आयकर दत्त किया गया। वर्तमान वर्ष में इसरो ने कंपनी को सूचित किया कि 250 स्वर्ण सिक्कों को वितरण नहीं किया गया और 192 स्वर्ण सिक्के कंपनी को वापस किया गया जिसे इसरो/अं.वि/एन्ट्रीक्स के कर्मचारियों को बाजार के चालू दर पर 11.82 लाख पर बेचा गया और शेष 58 स्वर्ण सिक्के इसरो के पास कंपनी की ओर से रखे हैं जिसका मूल्य, क्रय दर है और लेखी बही अनुच्छेद-8 में जमा है। बिक्री कार्यवाही को वित्तीय विवरण में असामान्य आय के रूप में दिखाया है।

9. चूँकि, कम्पनी ने केन्द्र सरकार के दि.04.07.2011 के आदेश सं.46/119/2011-सी.एल.-III के द्वारा, माल की प्रत्येक श्रेणी की मात्रा और अनुरूप मूल्य के प्रकटन से छूट प्राप्त कर ली है और उत्पादों एवं प्रचालन क्षेत्र की संवेदनशीलता तथा गोपनीयता की दृष्टि से, कम्पनी के हित में, चालू तथा गत वित्त वर्ष के लिए लेखा संबंधी मानक 17 खण्ड रिपोर्ट के तहत अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

10. उपादान तथा छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, लेखा संबंधी मानक (ए.एस.)-15 (संशोधित) के अनुसार किये जाते हैं और निम्नलिखित प्रकटन किये जाते हैं:-

क) उपादान

तालिका 1 - तुलन-पत्र में स्वीकृत की जानेवाली धन-राशि

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	(रुपये में)	
वित्त न प्रदान किये गये कार्यों का वर्तमान मूल्य	5,17,065	4,72,818
तुलन-पत्र में धनराशि		
देयता	5,17,065	4,72,818
परिसम्पत्तियाँ	–	–
निवल देयता	**5,17,065**	**4,72,818**

तालिका 2 - लाभ तथा हानि लेखा के विवरण में स्वीकृत किये जाने वाले व्यय

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	(रुपये में)	
चालू सेवा लागत	1,06,554	77,736
निर्दिष्ट लाभ कार्य पर ब्याज	47,431	23,693
वर्ष में स्वीकृत निवल वास्तविक हानि/(लाभ)	(1,09,738)	1,06,433
कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल कुल	**44,247**	**2,07,862**

तालिका 3 - इस अवधि के लिये लाभ कार्यों तथा योजना परिसम्पत्तियों का समायोजन

	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	(रुपये में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्यों में परिवर्तन		
प्रारंभिक निर्दिष्ट लाभ कार्य	4,72,818	2,64,956
चालू सेवा लागत	1,06,554	77,736
ब्याज लागत	47,431	23,693
वास्तविक हानि/(लाभ)	(1,09,738)	1,06,433
समाप्त निर्दिष्ट लाभ कार्य	**5,17,065**	**4,72,818**
अगले वर्ष प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	14,506	15,831

तालिका 4 - परिसंपत्तियों की सूचना - शून्य

तालिका 5 - अनुभव के समायोजन

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
	(रु. में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्य	5,17,065	4,72,818
योजना परिसंपत्तियाँ	–	–
अधिशेष (घाटा)	(5,17,065)	(4,72,818)
योजनाबद्ध देयता पर अनुभव का समायोजन	(1,05,462)	2,14,127

तालिका 6 - मुख्य वास्तविकता के पूर्वानुमान का सार

मूल्यांकन दिनांक पर वित्तीय पूर्वानुमान

	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 11	31 मार्च 10
छूट दर (प्र.व)	8.35%	8.30%
वेतन वृद्धि दर/प्र.व)	6.00%	6.00%

ख) छुट्टी का नकदीकरण

पूरित अनुपस्थिति से होनेवाले व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि सं.5 या लेखाविधि सं.18 के तहत् संगत है, को छोड़कर ए.एस.15 (आर.) के पैरा 132 के अनुसार ऐसे कोई विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

11. ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित निवल अस्थगित कर परिसम्पत्तियों का प्रमुख घटकों को विवरण निम्न प्रकार है:

		31.03.2011 को	31.03.2010 को
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
(i)	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	8,98,76,077	8,27,10,985
(ii)	उपादान के लिए प्रावधान	1,71,769	1,60,711
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,89,814	1,59,153
(iv)	संचयित मूल्यह्रास	71,270	44,447
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**9,03,08,931**	**8,30,75,296**

12. लेखा संबंधी मानक "ए.एस.18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ.के.राधाकृष्णन, अध्यक्ष एवं श्री एच.एन. मधुसूधन कार्यपालक निदेशक मुख्य प्रबंधक कार्मिक हैं वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है ।

13. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस.28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि की कोई घटना नहीं है ।

14. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है ।

15. कम्पनी ने सभी विविध देनदारों को 31 मार्च 2011 तक बकाए की पुष्टि करने का अनुरोध किया है और कुछ ग्राहकों ने जवाब भी दिया है। विविध लेनदार, अग्रिम प्राप्य और अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष जहाँ लागू है के तहत, बकाया पुष्टि पर निर्भर है । फिर भी, प्रबन्धन की राय है कि लाभ तथा हानि लेखा पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. अंतरिक्ष खंड प्रभार दर में रु.9.08 करोड की राशि विदेशी उपग्रह की पूर्ति करने वालों को दिया गया जो उपग्रह प्रेशानुकर खंड क्षमता प्रभार के लिए है जैसा कि उनके साथ ठेके में कहा गया कि संबंधित अंतरिक्ष खंड प्रणाली का विक्रय/ प्रचालनात्मक कारणों से भारतीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं किया जाएगा। अनुसारित दिखाए गए व्यय को इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा ।

17. अन्तरिक्ष विभाग को देय राशि और प्रदत्त राशि के बीच समायोजन विकास की ओर है ।

18. भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए रु 9.16 करोड़ , वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 5.62 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए रु 0.09 करोड़ रुपये कुल 14.87 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली लम्बित है, चूँकि बी.एस.एन.एल. द्वारा उपयोग की गयी वास्तविक इन्सैट उपग्रह क्षमता का समायोजना नहीं किया गया है ।

19. प्रगति में प्रमुख कार्य रु.6,49,99,315/- की, अन्तरिक्ष विभाग द्वारा कम्पनी को पट्टे पर दी गई भूमि पर निर्माणाधीन भवन से संबंधित है ।

20. गत वर्ष के आँकड़ों को, चालू वर्ष की प्रस्तुति से मेल खाने हेतु पुनवर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत किया गया है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं.000003**S**

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(एस.रामानुजम)	**डॉ.वी.एस. हेगडे**	**डॉ.टी.के. अलेक्स**
भागीदार	अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक	निदेशक
सदस्यता सं.010943		

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17.12.2011

तुलन पत्र का सार और कम्पनी के सामान्य व्यापार प्रोफाइल

I. पंजीकरण संबंधी विवरण

(i) पंजीकरण सं.(सी.आई.एन.) : यू85110केए1992पीएलसीओ13570 (ii) राज्य कोड : 08

(iii) तुलन पत्र की तिथि : 31 मार्च 2011

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी (धनराशि हजार रु. में)

(i) पब्लिक इश्यू	:	शून्य	(i) राइट इश्यू	:	शून्य
(ii) बोध्नस इश्यू	:	शून्य	(ii) प्राइवेट नियोजन	:	शून्य

III. निधियों का संग्रहण और नियोजन की स्थिति (धनराशि हजार रु. में)

(i) कुल देयताएँ	:	67,01,501	(ii) कुल परिसम्पत्तियाँ	:	67,01,501
(iii) निधियों का स्त्रोत	:		(iv) निधियों का उपयोग:		
प्रदत्त पूँजी	:	10,000	निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	:	68,938
रक्षित ऋण	:	66,91,501	निवेश	:	20,00,519
रिजर्व और अधिशेष	:	शून्य	आस्थगित कर परिसम्पत्ति	:	90,309
अनारक्षित ऋण	:	शून्य	निवल चालू परिसम्पत्तियाँ	:	45,41,734
			विविध व्यय	:	शून्य
			संचयित हानियाँ	:	शून्य

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (धनराशि हजार रु. में)

(i) टर्न ओवर सहित अन्य आय	:	1,11,41,970	(ii) कुल व्यय	:	97,53,289
(iii) कर से पहले लाभ	:	21,40,210	(iv) कर के बाद लाभ	:	13,88,681
(v) प्रति शेयर पर आय रुपये में	:	13,886.81	(vi) लाभांश की दर	:	2,778%

V. तीन उत्पादों/कंपनी की सेवाएँ का जेनेरिक नाम (वित्तीय शर्तों के अनुसार)

1) (i) मद कोड़ सं. : 8525 20 99

(ii) उत्पाद / व्यवसाय विवरण : उपग्रह आँकड़ा उत्पाद

2) (i) मद कोड़ सं. : 8525 20 92

(ii) उत्पाद / व्यवसाय विवरण : आँकड़ा अभिलेखन प्रणाली

3) (i) मद कोड़ सं. : 8803 90 00

(ii) उत्पाद / व्यवसाय विवरण : सौर पाल

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं.000003**S**

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(एस.रामानुजम)
भागीदार
सदस्यता सं.010943

हस्ता/-
डॉ.वी.एस. हेगडे
अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक

हस्ता/-
डॉ.टी.के. अलेक्स
निदेशक

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17.12.2011

नकद प्रवाह विवरण

आँकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2011 के समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 के समाप्त वर्ष के लिए	
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
कर से पहले निवव लाभ		2,14,02,09,784		1,47,96,32,894
निम्न के लिए समायोजन:				
मूल्य ह्रास	12,23,759		12,58,433	
उपादान हेतु प्रावधान	44,247		2,07,862	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,03,151		58,020	
संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	2,72,08,918		19,62,81,387	
देयता जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं है	–		(3,225)	
संदिग्धपूर्ण ऋण जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं के लिए प्रावधान	–		(12,50,347)	
		2,85,80,075		19,65,52,130
		2,16,87,89,859		1,67,61,85,024
इसके लिए समायोजन:				
स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय पर लाभ	(15,350)		–	
बैंक विदेशी मुद्रा दर विचलन	(3,23,42,120)		(88,83,918)	
बैंक से ब्याज की प्राप्ति	(62,03,34,036)		(63,02,71,112)	
एम.एफ. से प्रमुख लाभ	(8,80,49,588)		(5,18,29,508)	
एम.एफ. से प्राप्त लाभांश की प्राप्ति	(2,18,92,292)		(6,22,22,726)	
		(76,26,33,385)		(75,32,07,264)
कार्य पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		1,40,61,56,473		92,29,77,760
विविध लेनदारों में वृद्धि	1,29,95,23,511		–	
विविध लेनदारों में कमी	–		(8,70,89,826)	
अन्य लेनदारों में वृद्धि	1,20,58,26,646		1,79,86,01,775	
विविध देनदारों में कमी	–		84,11,57,434	
विविध देनदारों में वृद्धि	(1,47,75,57,969)		–	
अग्रिम में वृद्धि	(1,40,64,37,628)		(2,22,79,79,017)	
		(37,86,45,440)		32,46,90,366
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		1,02,75,11,033		1,24,76,68,126
आयकर/भुगतान एफ.बी.टी.		15,15,43,008		17,68,67,839
स्रोत से घटाई कर		66,13,99,019		
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद		**21,45,69,007**		**1,07,08,00,287**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह				

स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	(3,06,59,865)		(3,58,91,015)	
उपकरणों की बिक्री से	15,350		–	
बैंक विदेशी मुद्रा दर विचलन	3,23,42,120		88,83,918	
बैंक से ब्याज रसीद	62,03,34,036		63,02,71,112	
एम.एफ. से प्रमुख लाभ	8,80,49,588		5,18,29,508	
एम.एफ. से प्राप्त लाभांश की प्राप्ति	2,18,92,292		6,22,22,726	
निवेश में वृद्धि	–		(1,00,17,93,778)	
निवेश में कमी	29,33,40,035		–	
बैंक के सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज में वृद्धि	(5,05,11,647)		–	
बैंक के सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज में कमी	–		2,39,46,883	
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद		**97,48,01,909**		**(26,05,30,646)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
प्रदत्त लाभांश	(21,70,00,000)		(30,10,00,000)	
वितरित लाभांश का दत्त कर	(8,80,34,100)		–	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद		**(30,50,34,100)**		**(30,10,00,000)**
नकद व नकद समान संपत्ति में निवल वृद्धि		**88,43,36,815**		**50,92,69,641**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समान संपत्ति		8,79,22,10,831		8,28,29,41,190
वर्ष के अंत में नकद व नकद समान संपत्ति		**9,67,65,47,646**		**8,79,22,10,831**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अबर्ना व अनंतन
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं.000003S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
एस.रामानुजम
भागीदार
सदस्यता सं.010943

हस्ता/-
डॉ.वी.एस. हेगडे
अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक

हस्ता/-
डॉ.टी.के. अलेक्स
निदेशक

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक:17.12.2011

स्थान : तिरूवनंतपुरम
दिनांक: 17.12.2011

चित्रकार की दृष्टि में नया भवन

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
इसरो मुख्यालय, अन्तरिक्ष भवन,
न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूर-560 231
दूरभाष: +91-80-23416273/74 फैक्स: +91-80-23418981
वेबसाइट: www.antrix.gov.in